

**संख्या-209/सत्तर-3-2025**

प्रेषक,

शिपू गिरि,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ: दिनांक : 30 जनवरी, 2025**

**विषय:** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Multhyanantri YUVA) की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) हेतु मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय में अस्थायी पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1866218/2024/18-2-2025, दिनांक 06.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-52/2024/1715/477/18-2-2024 द्वारा सृजित अस्थायी पदों (प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है) हेतु इच्छुक अधिकारियों को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय एवं मिशन निदेशक सी०एम० युवा के नियमित भवन, केसरबाग, लखनऊ स्थित मिशन कार्यालय में आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

भवदीय,

Signed by Sipu Giri  
(शिपू गिरि)  
Date: 30-01-2025 11:33:37  
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 3- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 4- उप निदेशक, रूसा, लखनऊ।
- 5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

Signed by Surya Prakash  
Mishra  
Date: 30-01-2025 11:37:36  
(सुरेश प्रकाश मिश्रा)

**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)**

Tel. No.: (05452) 252244  
Web: www.vbspu.ac.in

Email: connectpuregistrar@gmail.com



पत्रांक : 11289 / पू.वि.वि. / सामा0प्रशा0 / 2025

दिनांक : 01 फरवरी, 2025

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. वित्तअधिकारी / परीक्षा नियन्त्रक।
2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / शिक्षक, विश्वविद्यालय परिसर को इस आशय से कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत होते हुए सम्बन्धितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत होते हुए सम्बन्धितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4. समस्त उप कुलसचिव।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

संख्या 209 / सतर-2-25

संख्या-1866218/2024/18-2-2025

प्रेषक,

डॉ० उज्ज्वल कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

H/L

सवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2025

विषय :- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) हेतु मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय में अस्थायी पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

महादय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, सी०एम० युवा, मिशन कार्यालय लखनऊ के पत्रांक-55/मु०यु०वि०अ०/2024-25 दिनांक 23.12.2024(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि एमएसएमई विभाग के शासनादेश संख्या- 49/2024/1650/477/18-2-2024 दिनांक 04.10.2024 द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) योजना का प्रख्यापन किया गया है। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) के मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय के संचालन हेतु शासनादेश संख्या- 52/2024/1715/477/18-2-2024 दिनांक 18.10.2024(प्रति संलग्न) द्वारा अस्थायी पदों का सृजन किया गया है। उक्त शासनादेश में ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर के 04 पद एवं डिप्टी मिशन डायरेक्टर के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का प्राविधान किया गया है। योजना के कुशल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु उक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर शीघ्र भरा जाना नितान्त आवश्यक है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न शासनादेशानुसार उक्त पदों हेतु इच्छुक अधिकारियों को आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय एवं मिशन निदेशक, सी०एम० युवा के निर्यात भवन, कैसरबाग, लखनऊ स्थित मिशन कार्यालय में आवंदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by  
डॉ० उज्ज्वल कुमार,  
विशेष सचिव।

Date: 06-01-2025 11:39:20

21/01/25  
23.01.2025

803  
21/1/25

21/01/25

(आर०पी० जोधरी)  
निजी सचिव,  
प्रमुख सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

Ds

21/01/25  
निजी सचिव,  
विशेष सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

E-1866218

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
सी०एम० युवा,  
निर्यात भवन, कैसरबाग, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
अनुभाग-2,  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

2002/18-2-24

पत्रांक- 55 / मु०यु०वि०३१० / 2024-25 लखनऊ, दिनांक - 23/12/2024

विषय-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रतिनियुक्ति पर पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-49/2024/1650/477/18-2-2024 दिनांक 04.10.2024 एवं शासनादेश संख्या-52/2024/1715/477/18-2-2024 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई का गठन किया गया है, जिसमें वित्त विभाग के अधीन, महाप्रबन्धक वित्त (लेवल-12), वित्त एवं लेखा अधिकारी (लेवल-10) तथा सहायक लेखाधिकारी (लेवल-8) के क्रमशः एक, एक तथा चार पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि राज्य प्रबन्धन इकाई में एडिशनल मिशन डायरेक्टर (आई०ए०एस० अथवा पी०सी०एस० सर्वग के अधिकारी), ज्वॉइंट मिशन डायरेक्टर (लेवल-12), डिप्टी मिशन डायरेक्टर (लेवल-11) क्रमशः एक, चार तथा चार पदों को भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु प्राविधान किया गया है।

वर्तमान में सी०एम० युवा मिशन का कार्यालय लखनऊ स्थित निर्यात भवन में स्थापित किया गया है एवं मिशन के मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर द्रुतगति से संचालन एवं अनुश्रवण हेतु वित्त से सम्बन्धित एवं अन्य प्रशासनिक पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से अपर मुख्य सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से अनुरोध करने का कष्ट करें।

सलंगनक-उपरोक्तानुसार।

(के० विजयेन्द्र पांडेयन)  
मिशन निदेशक  
सी०एम० युवा,  
मिशन कार्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन- / तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक आयुक्त एवं निदेशक एटोएम, कैसर बाग, लखनऊ।

श्री अजनीश / F.A  
23/12/2024  
K

मिशन निदेशक  
सी०एम० युवा,  
मिशन कार्यालय, लखनऊ।

प्रेषक,

प्रांजल यादव,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,  
उ० प्र०, कानपुर।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

विषय :- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ( Mukhyamantri YUVA ) की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई ( स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU ) हेतु मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय में अस्थायी पदों के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 49/2024/1650/477/18-2-2024 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रख्यापित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) के मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय के संचालन हेतु श्री राज्यपाल योजना के चालू रहने तक निम्न विवरणानुसार अस्थायी पदों के सृजन किये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

क्र. स.	पदनाम	पदों की सं./प्रकृति	अर्हता	वेतन प्रतिमाह	भर्ती का स्रोत
1	मिशन डायरेक्टर	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	आईएएस संवर्ग में न्यूनतम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी	पैतृक विभाग के वेतनमान के अनुसार	प्रतिनियुक्ति
2	एडिशनल मिशन डायरेक्टर	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	आईएएस अथवा नेशनल संवर्ग के अधिकारी जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी अथवा समकक्ष ऐसे पदों पर जिनमें बैंक/वित्तीय संस्थाओं के	तदेव	प्रतिनियुक्ति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट \_\_\_\_\_ से सत्यापित की जा सकती है।

		तक)	माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो		
3	ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर	04 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	एमएसएमई विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रु. 7600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12 के अनुवर्ती स्तर में रु. 88700/-पर कार्यरत एवं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति
4	महाप्रबंधक वित्त	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रु. 7600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12 के अनुवर्ती स्तर में रु. 88700/-पर कार्यरत एवं कम से कम 100 करोड़ के वार्षिक बजट वाले संस्थान/विभाग में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	तदैव	प्रतिनियुक्ति
5	वित्त एवं लेखाधिकारी	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रु. 5400/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10 के अनुवर्ती स्तर में रु. 63100/-पर कार्यरत एवं कम से कम 50 करोड़ के वार्षिक बजट वाले संस्थान/विभाग में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	तदैव	प्रतिनियुक्ति
6	सहायक लेखाधिकारी	04 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रु. 4800/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-8 के अनुवर्ती स्तर में रु. 53600/-पर कार्यरत	तदैव	प्रतिनियुक्ति
7	डिप्टी मिशन डायरेक्टर	04 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	एमएसएमई विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रु. 6600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11 के अनुवर्ती स्तर में रु. 76200/-पर कार्यरत एवं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ..... से सत्यापित की जा सकती है।

8	मुख्यमंत्री युवा फेलो	160 (150+10)से वा आउटसोर्स	स्नातक	रु0 30000.00 रु0 10000.00 (भ्रमण भत्ता)	आउटसोर्सिंग
9	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	85 (75+10) सेवा आउटसोर्स	कम्प्यूटर का न्यूनतम सीसीसी प्रमाण- पत्र एवं टायपिंग एवं ऑनलाईन पोर्टल संचालित करने का 02 वर्ष का अनुभव	रु0 15000.00	आउटसोर्सिंग

- 2- उक्त पदों पर आने वाला व्यय-भार योजना हेतु प्राविधानित बजट से किया जायेगा।
- 3- उक्त पदों के संबंध में वित्त, कार्मिक एवं श्रम विभाग द्वारा निर्गत तथा समय-समय पर यथासंशोधित सुसंगत नियम लागू होंगे।
- 4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रांजल यादव  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्सहन, उत्तर प्रदेश।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रांजल यादव  
सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट \_\_\_\_\_ से सत्यापित की जा सकती है।